NOTIFIED RECRUITMENT RULES

CAPT, Bhopal, Group 'C' posts

INDEX

Sl. No.	Name of the Post	Page
1.	Stenographer Grade-III	01 – 04
2.	Telephone Operator	05 - 07
3.	Library Assistant	08 - 11
4.	Cook-cum-Helper	12 – 15
5.	Electrician	16 – 19
6.	Data Entry Operator	20 – 24
7.	Head Constable	25 - 28
8.	Constable (Band)	29 – 32
9.	Constable	33 - 36
10.	Syce	37 - 40
11.	Training Attendant	41 – 44
12.	Wireless Operator	45 – 49
13.	Nursing Orderly	50 - 53
14.	Ferrier	53 – 57
15.	Veterinary Compounder	58 - 61
16.	Bhisti (Outdoor Training Activities)	62 - 63
17.	Constable (Demo Platoon)	66 - 70
18.	Driver	71 – 74
19.	Laboratory Attendant	75 – 79

Age-limit for direct recruits.		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Deputation	Deputation:	(12) Not applicable	(13)
- 	Officer of the Central or State Government: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department: or	гчог аррпсавіе	Not applicable
	(ii) with three years' regular service in the leve 12 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; or		
	(iii) with five years' regular service in the level 1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and		
	(iv) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.		
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/205/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 460.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंघान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आशुलिपिक श्रेणी—III के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंम.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (आशुलिपिक श्रेणी—III) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की** संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आय्-सीमा, अर्हताएं आदि.-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हता.-वह व्यक्ति. -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से

शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं. उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) आशुलिपिक श्रेणी—III	(2) 05* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	(4) स्तर 5 (29200-92300/- रु.)	(5) लागू नहीं होता	(6) लागू नहीं होता

	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10) प्रतिनियुक्ति
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	I ANTITY I

प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आगेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्तित या प्रतिनियुक्ति या आगेलन किया जाएगा । (11)

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों ;या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो: और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अईताएं और अनुभव रखते हों:--

आवश्यकः

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास या समतुल्य।
- (ii) आशुलिपि (हिंदी या अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।

(iii) कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस



नियुक्ति से टीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/218/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

- G.S.R. 460.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade III in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:
- 1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training. Bhopal (Stenographer Grade III), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade - III	05* (2017)	General Central Service Group 'C',	Level - 5 (Rs. 29200- 92300/-)	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload.	Non-Gazetted, Ministerial		

(4)

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.		Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable
the state of the s	Officers of Central or State Government: -		
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
	(ii) with five years' service in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix in the parent cadre or department: and		
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:-		
	Essential:		
	 (i) 12th Class or equivalent pass from a recongnised Board. (ii) possessing speed of 80 words per minute in shorthand (English or Hindi). (iii) working knowledge of computer. 		
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/218/2016-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

/4				
	(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते होँ:-	Telephon	ne Open	ado
	आवश्यकः (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास अथवा समतुल्य। (ii) सरकारी प्राधिकृत समुत्थान से इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच ऐक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। वांछनीयः (i) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान। (ii) हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने में प्रवीणता। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए			
	अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		3011/203/2016-	0 0 1
		।फा स -2	3017/203/2010-	7161]

[फा. सं.-23011/203/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह,अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 2018

G.S.R.27 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution. the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Operator in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely .-

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, 1 Bhopal (Telephone Operator) Recruitment Rules, 2018.
 - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (2)
- Number of post, classification and level in the pay matrix .—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 2.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- Disqualifications .- No person, -4.
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, (b)

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

175

Saving .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telephone Operator	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable.
	Officer of the Central or State Police Organisation: - (a) holding analogous post after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department. (b) possessing the following educational qualifications and experience:- Essential: (i) 12 th class or equivalent pass from a recognised Board. (ii) one year's experience in handling Electronic Private Automatic Branch Exchange from a government authorised concern.		

	Desirable:	
	(i) working knowledge of computer.	
÷	(ii) spoken language proficiency in English and Hindi.	
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

[F. No. 23011/203/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि.28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अनुदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (अनुदेशक) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[PART II—SEC. 3(i)]

						10_
	(12)			(13)		0/
Dep	artmental Promotion Committee (for considering	ng promotion) consisting	Consultation			
of :-			Service Comr	mssion	necess	saiy.
(1)	Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman				
(2)	Inspector General, Sashastra Seema Bal	-Member				
(3)	Director or Deputy Secretary,					
	Ministry of Home Affairs	-Member; and				
(4)	Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal	-Member.				
	partmental Confirmation Committee (for consisting of :-	onsidering confirmation)				
(1)	Inspector General, Sashastra Seema Bal	-Chairman				
(2)	Director or Deputy Secretary,					
	Ministry of Home Affairs	-Member; and				
(3)	Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal	-Member.				

[F. No.17/3/SSB/CSC/Area/Gp 'A'/2017/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.307.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पुस्तकालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (पुस्तकालय सहायक), भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में किनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की सम्विदा की हो, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की सम्विदा की हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करनेकी शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े व गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



अनुसूची



पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद या अचयन
				पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय	01* (2018)	साधारण केंद्रीय सेवा,	लेवल 3 (रु. 21700-	लागू नहीं होता
सहायक	*(कार्यभार के आधार	समूह ,'ग'	69100/-)	
	पर परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित,		
	सकता है।)	अननुसचिवीय		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा	
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(9)	(10)	
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	

0

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:-

- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200/-) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो।
- (ख) जो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों।
- (ग) जो कम्पयुटर पर काम करने का ज्ञान रखते हों।
- टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

घ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
13)
हीं होता
٠.

[फा. सं. 23011/132/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R.307.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Assistant in the Central Academy of Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development under the Ministry of Home Affairs, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy of Police Training, Bhopal (Library Assistant) Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, Classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1) Library Assistant	(2) 01* (2018) *Subject to variation dependent on workload	(3) General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	(4) Level-3 (Rs. 21700 – 69100/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6) Not applicable	(7) Not applicable	(8) Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

Deputation:

Officers under the Central or State Government or Union territory administration:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or



- (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level2 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing a Bachelor Degree in Library Science
- (c) having working knowledge of Computer.

Note 1. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.

If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Not applicable
<u></u>	

[F. No. 23011/132/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

नई बेगलूरू, 5 सितम्बर, 2018

•

सा.का.िन.308.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2004 तथा 2009 के अधिक्रमण में, अब तक, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में इसरो के केंद्रों के नियंत्रक की भर्ती प्रक्रिया तथा पदनाम को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:—

- 1. **लघु शीर्षक और आरंभ.**—इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (इसरो केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाए।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि.—उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 4. अपात्रता.—कोई भी ऐसा व्यक्ति.
 - क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेत् अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमित है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- 5. **छूट देने का अधिकार.**—जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो) नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में रसोईया-सह-सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (रसोईया-सह-सहायक), भर्ती नियम, 2018 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक अनुसूची के स्तंभ (5) हे ततम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो;

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.- इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अनुक्विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा
(1) सोईया-सह- ाहायक	(2) 10* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	(4) स्तर - 3 (रु. 21700- 69100/-)।	अचयन पद (5) लागू नहीं होता।

[PART II—SEC. 3(i)]

250

तिहाँ हिम्मिष्	ताम् हीं होगा	तानांह डिम प्राप्त	लाम् नहीं होता।
(6)	(8)	(7)	(9)
	ीरांडु प्राप्त में 1185 कि फिक्तीक ठरूरि हिन ए	ग्रेगिडेस फन्स अहीताएं	
हिड़ेकि शिष्ट	मिहिह कि और भीत के विदेश में	क्रिक्षिय के प्रमुख्य	ामि-छाष्ट ग्रन्ति कं फिक्तीफ्र
,धोहरू कि मडिहिरीए	इं फिक्तील हाह नाह गरी किए अपि	न्नाइ नार प्रनी किम धिरि	हाइ नार प्रका 15F BIB

		मक्तशिक्ष प्रभी के क्रीपृत्ती राष्ट्र क्रीपृत्तीक्ष ऽ णण्ऽी वेट कि छरिग्न मित्रीक्ष कि र्रज्ञ सार म्ड्निक्श मिसिन् राष्ट शिग्हें ड्रिन क्डीक्ष में पेड	
		प्रहितं जीग्तं कंमिली ,थिविश कि क्रीपृन्तिति! णण्डी में गाथं कि अप अप संग्रित के अक्स म्हेम इाड प्रडाक म्ब्रह्म क्षी क्षी क्षी के कि के कि कि माड़ के कि एट पर प्रतिप्रित कि	
		मं मक्षण्ट हिनामधीक्ष ष गामकी फ़िक्स सिकी (ii) ।इम्फुर कि वैच 2 में पत्र र्व क्षाडुस्प-इस-ाफ्डेस्पि	
		ा) किसी मान्यता प्राप्त छोडं या संस्थान मेज़ेलुलशन वा समतृष्य का मान्य का हिन्सी पा प्रमाण का हिन्स	
		वीवर्त्रतयः:	
		प्रोंध गर्नेहरू कणिक्षक क्षेत्रीलिसन भाग कंन्छी (छ) अनुभन हो:-	,
	•	-00961 .ड) ८-रास्त्र के सम्ब्रीम मिन्न मॅड्रिम्टी (iii) -इस्-डेमम्ब्र कमाइस रम आधार प्रमीधनी में (-\00388 र्का है कि विक्षेत्र के प्रमुख्य के स्वाहरी	·
		(ii) किन्हींने केन्द्रीय पृषिस संगठन या केन्द्रीय संशक्त पृषिस वल या राज्य पृषिस संगठन में कोस्टेवल (हुलवाई) के पद पर निपित्त आधार पर कार्य किया हो; अथवा	
		সায়াছ চনিচিন में দাमनी ार उहास छम् निंकृषि (i)(क) ार रहि ।। ।।	
		ःगिकिशिष्ट मिंग्रे मिश्रिष्ट र्क प्राकप्तम प्रयाप्र पष्ट प्रदिनर्क	
महाई ड्रिम् मुम्ह	ताहाई डि्हा प्राप्त	:कीफ़्निश्रह	। १५१इ क्षिमिहीर
(13)	(21)	(11)	(01)
महामिश्री विद्या जाएगाः	संस्वता		रिनिड्डम हमिनि एक 1राइ किक निर्म पिम 1राइ 166१ कि रिम्मी
जोक ग्रेबा आयोग मे	किया अपन	अथवा आमेलन किया जाएगा	म्रुमाश क्रिष्ट क्रिप्रिमिए
स्क्री में नेप्रक किए इसे में फिलास्प्रीपीए	म्तीमारही डीम् त्रिमिष्ट हीर्ह्गाए	न्त्रीप्रनितिए किष्ध निर्हार मिन्ही किणिहि हे में 1195	ाष छाड़ हीलाँए एए गिर्गड़
0	1 -00-40 500	कि किम ।ग्राह्म अभवा आमेलन द्वारा भर्ती की	ਭੁੰਸ਼ਿ ਜੋਸ਼ ,ਜੀਡ਼ਾ ਕਿ ਜੋਸ਼

[BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT]

New Delhi, the 7th March, 2018

- G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook-cum-Helper in the Central Academy for Police Fraining, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs,
- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, ١. Bhopal (Cook-cum-Helper), Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- Disqualifications. No person,
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. (b)

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any
- Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

SCHEDULE

Name of post		Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection
				* *************************************	post or non-selection
(1)		(2)	(3)	(4)	post
Cook-cum-Helper.		10* (2018)	(3)	(4)	(5)
		10 (2010)	General Central	Level - 3 (Rs. 21700-	Not applicable.
		*Subject to maint	Service	69100/-).	T n
		*Subject to variation	Group 'C',	tina di Parantina	
	1.5	dependent on	Non-Gazetted,		
		workload.	Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct	Period of probation, if any
		recruits will apply in the case of promotees	in the second of
Not applicable,	(7) Not applicable	(8) Not applicable.	(9) Not applicable.

Method of recruitment,	T. C		
whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
various methods.			
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation.	Deputation	Not applicable.	Not applicable.
	Officers under the Central or the State, Government:		e ser epproduzie.
:	(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
	(ii) working as Constable (Cook) on regular basis in Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or State Police Organisation; or		
	(iii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and		
	(b) possessing the following educational qualification and experience,-		
	Essential:		
	(i) Matriculation or equivalent pass with diploma or certificate in catering from a recognised Board or Institute;		
	(ii) Two years' experience of working as Cook- cum-Helper in Government Department or undertaking preferred.		
	Note 1 Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		**************************************

[F. No. 23011/133/2017-PT] AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह गंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इ**न नियमों का सं<mark>क्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण</mark> अकादमी, भोपाल (प्रयोगशाला परिचारक), भर्ती नियम, 2018 हैं। KKS: Clectnolon, (11)

Electrician

(6)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-3प-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में विजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास व्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, बिजली मिस्त्री, भर्ती नियम, 2017 हैं।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे लेवल.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इम नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

H48 GI/2017



- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			में स्तर	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु-
(4)	(0)				सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विजली मिस्त्री	01* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5	लागू नहीं होता।	त्राग् नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आईताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नथा अभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशनता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति ।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नित	भर्ती करने में किन परिस्थितयों
प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा ।	समिति है तो उसकी	में संघ लोक सेवा आयोग से
	संरचना ।	परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारीः–	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।
(i) जो अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा		
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा		
(ख) निम्नलिखत शंक्षणिक अर्हता व अनुभव रखता होः –		·
आवश्यक:		
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विद्यालय से 10 वीं पास अथवा समकक्ष ।		
(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रीशियन में डिप्लोमा ।	•	
वांछनीयः		
(i) इलैक्ट्रिकल पर्यवेषक द्वारा दक्षता संबंधी प्रमाणपत्र के साथ सरकारी संगठन में		
इलैंक्ट्रिशियन के रूप में तीन वर्ष की सेवा का अनुभव ।		
(ii) कंप्यूटर कार्य का ज्ञान रखता हो ।		
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी	1	
अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया नीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-मीमा आवेदन प्राप्त		
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. 23011/221/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-।)



MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2017

- G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician, Central Academy for Police Training. Bhopal in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs. Electrician, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development. Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrician	01* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level 5	Not applicable	Not applicable.

Educational and o qualification required direct recruits.	į	any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation

[PART II—SEC. 3(i)]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level	If a Departmental	Circumstances in which Union
from which promotion or deputation or absorption to be made.	Promotion Committee	Public Service Commission to
	exists, what is its	be consulted in making
	composition.	recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation:	Not applicable	Not applicable •
Officers of the Central Government or the State Government.		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre: or		
(ii) with five years' regular service in posts in Level 4 in the pay matrix; and		·
(b) possession of the following educational qualification and experience:		
Essential:		
 (i) Matriculation or equivalent from a recognised board or school; and 		
(ii) Industrial Training Institute Diploma in electrician trade.		
Desirable:		
(i) Electrical Supervisor certificate of competency with three years' experience as an electrician in a Government organization; and		
(ii) possessing working knowledge of computer.		•
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central		
Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

• [F. No. 23011/221/2016-PT.] • KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-1)

ALOK KUMAR राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

OGO, CAPT



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 270] No. 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 337(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास व्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोषाल में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक भर्ती नियम, 2017 हैं
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे
- 2. पदों की संख्या ,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित ,आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित ,आयु-सीमा ,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.---वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।


1990 GI/2017

(1)

(22)

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण



- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के त्यक्तियों की वावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ,ऐसे आरक्षणों ,आयु मीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

वनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	4* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय मेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमचिवीय	म्तर 3	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य ईताएं	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक र्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती मीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में मंघ लोक मेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हैं; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो; अर्थात्	लाग् नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]





	170
preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

[F. No. 23011/219/2016-PT]
KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)

Mead Consterble CAPT, Bhopal

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] No. 422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 521(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में हैड कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो हैड कांस्टेबल भर्ती नियम, 2017 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे ,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्त.
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3377 GI/2017

- 26
- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

्र अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
नाम				अथवा	
				अचयन पद	लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हैड	15* (2017)	साधारण केंद्रीय सेवा,	लेवल 4 (रू. 25500-	लागू नहीं	लागू नहीं होता।
कांस्टेबल	*(कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग', अराजपत्रित,	81100/-)।	होता।	
	परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय। (योधक)			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आईताएं।	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोम्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
. (11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी –	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; अथवा		
(ji) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रू.21700-69100/-) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा		
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू.19900-63200/-) में आठ वर्ष नियमित		
सेवा की है; और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षिणिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:		
आवश्यकः		
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास;		
(ii) निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक को सफलतापूर्वक पूर्ण किया होः –		
(क) ड्रिल अनुदेशक अथवा शस्त्र एवं युक्ति अथवा शारीरिक प्रशिक्षण अथवा निःशस्त्र मुठभेड अथवा मैप रीडिंग अथवा फील्डक्राफ्ट।		
(ख) चिकित्सा श्रेणी – शेप-1.		
वांछनीयः		
(i) केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में एक वर्ष के कार्य का अनुभव।		
(ii) किसी खेल/गेम में दक्षता।		
(iii) 50 वर्ष से कम आयु को वरियता।		



टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या	
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	
टिप्पण 2. – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	
करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 23011/209/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2017

- G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:
- 1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualifications.** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Head Constable	15* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Level 4 (Rs. 25500- 81100/-).	Not applicable	Not applicable.



	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation .	Not applicable	Not applicable
Officers of the Central or the State police organisation:		
(a) (i) holding analogous post on regular basis; or		
(ii) with five years' regular service in level 3 (Rs. 21700-69100/-) in the pay matrix; or		
(iii) with eight years' regular service in level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and		
(b) possessing the following educational qualification and experience:		
Essential:		
(i) 10 th class pass from recognised Board; and		
(ii) successfully completed any one of the following course: -	P. C.	
(A) Drill Instructor or weapon and tactics or physical training or unarmed combat or Map reading or field craft;		
(B) Medical Category-SHAPE-1.		
Desirable:		
(i) one year of working experience in any Central or State police training institute;		
(ii) proficiency in any game or sports;		
(iii) age preferably below 50 years.		
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.		27,124

[F. No. 23011/209/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Constable (Band)

CAPT, Bhopal (29)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 423]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 522(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में कांस्टेबल (बैंड प्लाटून) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, कांस्टेबल (बैंड प्लाटून) भर्ती नियम, 2017 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3378 GI/2017

4 - All Hilliands

(1)



- 30
- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1) · कांस्टेबल	(2) 19* (2017)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा,	(4) ਜੇਬਜ 3 (रू.21700-	ं (5) लागू नहीं	(6) लागू नहीं होता।
कास्टबल (बैंड प्लाटून)	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	69100/-)।	होता।	

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आईताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी –	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; अथवा		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू.19900-63200/-) में तीन वर्ष नियमित सेवा	·	
की हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिणिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:		
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास;		
(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बैंड यंत्रों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण		
किया हों;		
(iii) सेना अथवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बैंड में एक वर्ष का अनुभव।		
िप्पण 1 – पतिनियक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी	•	
अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कीडर बाह्य पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	•	
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	r	
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		22244/70/2013 मी री

[फा. सं. 23011/79/2013-पीटी] अजय कुमार सिंह, अवर सचिव



4

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 129(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सिपाही के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात्-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, (सिपाही) भर्ती नियम, 2017 हैं।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या ,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे लेवल उक्त पद की संख्या ,उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति ,आयु-सीमा ,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है ,विवाह किया है ,या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा.

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

817 GI/2017



- 5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों ,आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण .	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय्-सीमा।
(1) सिपाही	(2) 30* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर सचिवीय (योधक)	(4) स्तर 3	(5) लागू नहीं होता	(6) लागू नहीं होता

ं इ	गिधे भर्ती किए जाने वाले यक्तियों के लिए अपेक्षित ोक्षिक और अन्य आईताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतना।
	(7)	(8)	(9)	(10)
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्र अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारीः –	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा		
(ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा		
(ख) निम्नलिखत शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव रखता होः –		
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं पास; और		
(ii) मेडिकल श्रेणी- शेप-1.		
वांछनीयः-		
(i) किसी केंद्र अथवा राज्य पुलिस संगठन में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।		
(ii) ड्रिल और शस्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त तथा युक्ति व बिना शस्त्र के युद्ध अथवा		
शारीरिक प्रशिक्षण।		
(iii) किसी खेल या खेल-कूद में दक्षता।		
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या		
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी		



अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन	
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 23011/208/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

- G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -
- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Constable	30* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Level 3	Not applicable	Not applicable.

[PART II—SEC. 3(i)]

qualification required	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	probation,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central or the State police organisation: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in level 2 in the pay matrix; and	Not applicable	Not applicable
(b) possessing the following educational qualification and experience:		
Essential: (i) 10 th class pass from recognised Board; and (ii) Medical Category-SHAPE-I. Desirable: (i) one year of working experience in any Central or State police organisation; (ii) undergone training in drill or weapons and tactic or unarmed combat or physical training; and (iii) proficiency in any games or sports.		
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/208/2016-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 2017 ⁄वैशाख 23, 1939

No. 369] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 2017/VAISAKHA 23, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

सा.का.िन. 464(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में में साईस के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (साईस), भर्ती नियम, 2017 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	गुसूषा		
		वगाकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
(1) साईस	(2) 15' (2017) '(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग',	(4) स्तर 3 (रु. 21700- 69100/-)	(5) नागू नहीं होता।	आयु-सीमा। (6) लागू नहीं होता।
	617	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	00100/-/		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
लागू नहीं होता।	(8)	(9)	(10)
	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से
(11)	सरचना।	परामर्श किया जाएगा।
प्रतिनियुक्तिः	(12)	(13)
केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी –	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; अथवा		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रु.19900-63200/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा		
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (रु.18000-56900/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिणिक शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हो; अर्थात्		
।) आवश्यकः 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य		
(ii) वांछनीयः (क) सरकारी अस्तबल या मान्यता प्राप्त रेस क्लब या रजिस्ट्रीकृत स्टड फार्म में घोड़ों को संभालने का 2 वर्ष का अनुभव; और		
ख) कमांडेंट का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के पास घोड़ों को संभालने या संगठन में साईस की घूटी करने का 2 वर्ष का अनुभव।		
टेप्पण 1. – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य ांगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		

[नाग II – खण्ड 3(I)] भारत का राजपत्र : असाधारण	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3
ाटजा 2 प्रातानसक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम् अस्य प्रीतानसक्ति	
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं.- 23011/206/2016-पीटी] अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May,2017

- G.S.R. 464(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Syce, in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs,
- Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal (Syce), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualifications.-No person, -

[भाग II—खण्ड 3(i)]

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any

- Power to relax.-Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or
- Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

SCHEDULE

Name of	Number of post	Classification			
post		- Classification	Level in the pay matrix	post or non-	Age limit for direct recruits
(1) Syce.	(2) 15* (2017).	(3) General Central Service Group 'C', Non-	(3) Level 3. (Rs. 21700- 69100/-).	selection post (5)	(6) Not applicable.



THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

*Subject to variation dependent on workload.

| Converted to variation dependent on workload.

for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	·	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
Not applicable.	(8) Not applicable.	(9) Not applicable.	(10) Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption Level from which promotion or deputation or absorption to be made (11)	Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
Deputation.	(12)	(13)
Officers under the Central or State Government.	Not applicable.	Not applicable.
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or		
(ii) three years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; or		
iii) five years' of regular service in the grade rendered after appointment hereto on regular basis in the level 1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and		
b) possessing following educational qualifications and experience, namely: -		
i) Essential: class10th pass certificate or equivalent.		
ii) Desirable: (A) two years' experience in handling horse in government table or recognised Race club or registered stud farm; or		
B) certificate from commandant that individual having two years' experience in handling of horse or duties of Syce in the organisation.		
Note 1 Period of deputation, including the period of deputation in another x-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or the organisation or department of the Central Government shall rdinarily not exceed three years.		
ote 2. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not ceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/206/2016-PT] AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.



रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 105]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 128(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, प्रशिक्षण परिचर, भर्ती नियम, 2017 है।
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता. वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है ,विवाह किया है ,या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :



परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षण परिचर	08* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर सचिवीय	स्तर 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनो में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारीः–	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
(क) (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा		
(ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा		
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव रखता होः –		



आवश्यक:		
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।		
(ii) कंप्यूटर कार्य का ज्ञान रखता हो।		
वांछनीयः- (i) किसी केंद्र अथवा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में एक वर्ष का अनुभव।	•	
टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2 – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 3 – ऐसे मामले में जहां अभ्यर्थी अधिक योग्य हैं तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से योग्यताओं को शिथिल कर सकता है।		

[फा. सं. 23011/210/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

- G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Attendant, Central Academy for Police Training, Bhopal in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Training Attendant, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualifications. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Training Attendant	08* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 3	Not applicable	Not applicable

	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation :	Not applicable	Not applicable
Officers of the Central or State Government or Central Police Organisation or the State Police organisations:		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre,		
(ii) with three years' regular service in level 2 in the pay matrix; and		
(b) Possessing the following qualifications:		
Essential: (i) Class 10th pass from recognised Board; and		
(ii) Possessing working knowledge of computer.		
Desirable: One year experience in any Central or State Police Training Institute.		
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.		

[F. No. 23011/210/2016-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)

1

Desirable:	
(i) Ability to prepare hooves of horse for fitting horse shoes, to make horse shoes and nails.	
(ii) two years' experience in shoeing horses either in Army or Central Police Organisations or Central Para Military Forces or Central Armed Police Forces or Central or State Police Organisation or registered racing club or registered stud farm.	
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2.: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

[F.No. 23011/207/2016-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 303.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (बेतार ऑपरेटर), भर्ती नियम, 2017 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।



- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	वर्गाकरण (२)
बेतार ऑपरेटर	01* (2017)	(3)
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा,
	(1)	समूह 'ग', अराजपत्रित,
L		अनन्सचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर 5 (29200-92300/-रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्निति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा	समिति है तो उसकी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
आमेलन किया जाएगा	संरचना	किया जाएगा
(11) प्रितिनयुक्तिः केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संबर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर चुका हो; और (ख) निम्नलिखिल शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो:-	(12) लागू नहीं होता	(13) लागू नहीं होता ।



आवश्यकः

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।
- (ii) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रेडियो पर्यवेक्षक अथवा हैड कांस्टेबल (रेडियो) का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।
- (iii) कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान रखता हो।

वांछनीयः

किसी सरकारी विभाग में रेडियो टेलिफोन ऑपरेटर अथवा बेतार ऑपरेटर अथवा समन्वयक पुलिस बेतार निदेशालय अथवा जिला अथवा राज्य में नियंत्रण कक्ष को संभालने का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा. सं. 23011/217/2016-पीटी] अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

G.S.R. 303.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Wireless Operator in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Wireless Operator), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 98
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	SCHEDODE	
Name of post	Number of post (2)	Classification (3) General Central Service
Wireless Operator	01* (2017)	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
	*Subject to variation dependent on workload.	

The state of the s	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
Level in the pay man	(5)	(0)
(4)	Not applicable	Not applicable
Level - 5 (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable	

qualifications required for	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation, it ally	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7) Not applicable	(8) Not applicable	(9) Not applicable	(10) Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13) Not applicable
Deputation:	Not applicable	140t applicable
Officers of the Central or State Police Organisation: -		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:-		
Essential: (i) 12 th Class or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) five years' experience as Radio Supervisor or Head Constable (radio) in the parent cadre or department.		
(iii)working knowledge of computer.		
Desirable:		
One-year experience in handing District or State control rooms of Directorate of Coordination Police Wireless or Wireless Operation	r n	



or Radio Telephone Operation in a Government Organisation.

Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 23011/217/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.िन. 304.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी—1, श्रेणी—2 और (सामान्य श्रेणी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना.-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होगें ।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं।
- 4. मर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति यो अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

[PART II—SEC. 3(i)]

THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 23, 2017/ASVINA 1, 1939

which they are due for release from
the Armed Forces; thereafter they
may be continued on reemployment: (The period of
deputation including the period of
deputation in another ex-cadre post
held immediately preceding this
appointment in the same or some
other organisation or department of
the Central Government shall
ordinarily not exceed three years).

[F. No. A.12022/02/2014-Ad.II] AMARENDRA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 301.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पूरिचर्या अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (परिचर्या अर्दली), भर्ती नियम, 2017 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

1330



अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अचयन पद	जाने वाले
					व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर्या अर्दली	02* (2017)	साधारण केंद्रीय	स्तर 3 (21700-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के	सेवा,	69100/- रु.)।		
	आधार पर	समूह 'ग',			
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,			
	जा सकता है।)	अननुसचिवीय।			

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या
वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	यदि कोई हो	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा
अपेक्षित शैक्षिक और	और शैक्षिक आईताएं प्रोन्नत		आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
अन्य आर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में लागू		पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली
	होंगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिश क्ता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारीः -		
(क)(i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा		
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो।		
आवश्यकः		
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य हो।	:	
(ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से परिचर्या अर्दली अथवा परिचर्या सहायक का तीन वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि		



है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा	
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 23011/78/2013-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

- G.S.R. 301.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Orderly in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Nursing Orderly), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Nursing Orderly	02* (2017)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
	*Subject to variation dependent on workload	

Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit recruits	for	direct
(4)	(5)		(6)	
Level – 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable	Not a	pplicab	le

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation



In case of recruitment by promotion or deputation or absorption	If a Departmental	Circumstances in which
level from which promotion or deputation or absorption to be made	Promotion Committee	Union Public Service
	exists, what is its	Commission is to be
	composition	consulted in making
	-	recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:	Not applicable	Not applicable
Officers of the Central or the State Government: -		
(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) who have rendered three years' service after appointment thereto on regular basis in the level- 2 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience: -		
Essential:		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.		
(ii) Three years' working experience as nursing orderly or nursing assistant in any recognised hospital.		0
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/78/2013-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.िन. 302.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में फेरियर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, <u>भोपाल (फेरियर),</u> भर्ती नियम, 2017 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या



(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
फेरियर	02* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर 3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्निति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	प्रोन्नति समिति है	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे कांस्टेबल पंक्ति के ऐसे अधिकारीः–	(12) लागू नहीं होता	(13) लागू नहीं होता ।
(क)(i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा		



(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; और	
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं व अनुभव रखता हो।	
आवश्यकः	
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।	
(ii) प्रशिक्षित फेरियर जो ठंडी और गर्म नाल लगाने में विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।	
वांछनीयः	
(i) जो घोड़े के खुर के लिए उपयुक्त नाल, नाखून बनाने की योग्यता रखता हो।	
(ii) सेना अथवा केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों अथवा केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों अथवा मान्यता प्राप्त रेस क्लब अथवा रिजस्ट्रीकृत स्टड फार्म में घोड़ों को नाल लगाने का दो वर्ष का अनुभव।	&
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	_
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 23011/207/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

- G.S.R. 302.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ferrier in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Ferrier), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.



- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ferrier	02*	General Central	Level – 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable
	(2017)	Service		
		Group 'C',		
	*Subject to variation	Non-Gazetted,		
	dependent on workload.	Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable
	Officer of the rank of constable from Central Police Organisations or State Police Organisations: -		
	(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or		
	(ii) with three years regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and		
	(b) possessing the following educational qualifications and experience.		
	Essential:		
	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.		
	(ii) Trained ferrier with special training in hot and cold shoeing.		



Desirable:	
(i) Ability to prepare hooves of horse for fitting horse shoes, to make horse shoes and nails.	
(ii) two years' experience in shoeing horses either in Army or Central Police Organisations or Central Para Military Forces or Central Armed Police Forces or Central or State Police Organisation or registered racing club or registered stud farm.	
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2.: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	•

[F.No. 23011/207/2016-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 303.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (बेतार ऑपरेटर), भर्ती नियम, 2017 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैंट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6107

भारत का राजपत्र : दिसम्बर २३, २०१७/पौष २, १९३९

	Note 2: The maximum age-limit for	l
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
	for field exercises.)	
	years (as younger personnel are required	
	(v) age preferably not more than forty-five	
	(iv) medical category Shape-1.	
)	(iii) excelled in any games or sports.	
	Platoon in a Police Training Institute.	
)	(ii) two years' experience of working in Demo	
	Аттеd Combat.	
)	-nU ro Ilird in Scourse in Drill or Un-	
1	:əldɛːizə(]	
	field duties.	ĺ
)	(iii) two years' experience in operational or	
	field craft.	
)	(ii) attended a course in weapons and tactics or	
	recognised Board.	
0	(i) Matriculation or equivalent pass from a	
a	Essential:	`

[F. No. 23011/215/2016-PT]

AIAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.क.पि. 458.—राष्ट्रप्र.ति. संदेशन के अनुकरें 309 के परनुक हारा प्रदल्त शक्तियों का प्रप्र-हिंद्रप्र में पर्य-मिकास भनुसंधान और विकास ब्यूते, गृह मंत्रात्वय के अधीन केहीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पशु—विकास कमाउंडर के पद -- ज्यांति की पद्धि का विनिधमन किली के निम्मिकाखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ां संवित्य भार और प्रारंग. –(1) इन नियम, होता प्रक्षिय प्रतिस प्रतिस प्रतिस प्रशियम, राधाः (पशु–विकल्सा । है ११०९ भारी नियम, १००१ है।
- । गिंड महुर कि में छाड़ीत कि माड़ाकर में हमराष्ट्र के (S)

of receipt of applications.

appointment by deputation shall be not exceeding lifty-six years as on the closing date

- ें अन्तर में एक्ट्रीमें निर्म प्रिक्षा, वसीक्ष्या, वसीका वार्मिक्स में स्वर्गा, वसिका वार्मिक्ष्या, वसिका वार्मिक्ष्या, वसिका वार्मिक्स में स्वर्गीत के स्वर्गित के स्वर्गित

निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति. जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं. से विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है. या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय्—सीमा।
(1) पशु—चिकित्सा कम्पाउंडर	(2) 01* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) स्तर 5 (29200- 92300/- रु.)	(5) लागू नहीं होता	(6) लागू नहीं होता

वाले व्यक्तियों के लि	ते सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के र लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं र प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि कोई हो ।	मर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आगेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रतिनिय्वितः

केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:--

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:--
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य और किसी मानयता प्राप्त संस्थान से पशुओं के इलाज में पशुचिकित्सक के पाठ्यक्रम का प्रमाण पन्न: तथा
- (ii) पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/204/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

- G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Compounder in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:
- 1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training. Bhopal (Veterinary Compounder) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- Disqualifications.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Veterinary Compounder	01* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200- 92300/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment,	In case of recruitment by promotion or deputation	If a Departmental	Circumstances in
whether by direct	or absorption, level from which promotion or	Promotion	which Union
recruitment or by	deputation or absorption to be made.	Committee exists,	Public Service
promotion or by		what is its	Commission is to
deputation or absorption		composition.	be consulted in
and percentage of the			making recruitment.
vacancies to be filled by various methods.			recruitment.
various metrous.			
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable
	Officers under the Central or the State		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
	Government, -		
	(a) holding analogous post on regular basis in the		
	parent cadre or Department; and		
	,		
	(b) possessing the following educational		1
	qualifications and experience:-		
	(i) Matriculation or equivalent from a recognised		
	Board and a veterinary course certificate in		
	equine treatment from a recognised institute;		
	and		1
	(ii) two years' work experience as veterinary		
	compounder.		
	Note 1 : Period of deputation, including the period		
	of deputation in another ex-cadre post held		
	immediately preceding this appointment in the		
	same or some other organisation or department of		
	1		
	the Central Government, shall ordinarily not		and the second s
	exceed three years.		
	Note 2: The maximum age-limit for appointment		- Processor
	by deputation shall be not exceeding fifty-six		
	years as on the closing date of receipt of		
	applications.		
	approacions.		

[F. No. 23011/204/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 459.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ) भर्ती नियम. 2017 है।
 - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे. जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

[PART II—SEC. 3(i)]

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable
	Officers under the Central or the State Government, - (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and		7,7
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:-		
	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board and a veterinary course certificate in equine treatment from a recognised institute; and		
	(ii) two years' work experience as veterinary compounder.		
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/204/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017 -

सा.का.नि. 459.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो. गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियां) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियां) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(61)



- '3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे 🔓 होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.-वह व्यक्तिः -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए
74 4/1 11 1	· · · - · ·		स्तर	अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए
					आयु—सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गिश्त <u>ी</u>	02*	साधारण केन्द्रीय	रतर 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(बाह्य प्रशिक्षण	(2017)	सेवा,	(21700-		
गतिविधियाँ)।	* कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग'	69100/- হ.)		
,	परिवर्तन किया जा सकता	अराजपत्रित,			
	青	अननुसचिवीय,	-		
	e	गैर योधक।			

वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लाग नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति ।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी:-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य हो।



टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/205/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

- G.S.R. 459.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bhisti (Outdoor Training Activities) in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal [Bhisti(Outdoor Training Activities)] Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.-No person. -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhisti (Outdoor	02*	General Central	Level - 3 (Rs. 21700-	Not applicable
Training Activities).	(2017)	Service Group 'C',	69100/-).	
	*Subject to variation	Non-Gazetted,		
	dependent on	Non-Ministerial		
	workload.	Non-Combatised.		mas provides minutes and a second



Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation:	Not applicable	Not applicable
	Officer of the Central or State Government: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	:	
	(ii) with three years' regular service in the leve 12 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; or		
	(iii) with five years' regular service in the level I (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and		
	(iv) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.		
	Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/205/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

न**ई दिल्ली**, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 460.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आशुलिपिक श्रेणी—III के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (आशुलिपिक श्रेणी—III) मर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(10) (60)

प्रितिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रितिनयुक्ति की अवधि है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[भाग 11--खण्ड 3(i)]

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 23011/183/2016-पी.टी.]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 456.—In partial modification of the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development (Senior Investigator) Recruitment Rules, 2016, published in the Gazette of India (Extra Ordinary), vide G.S.R. 934(E) dated 30th September, 2016, the entries made under Column (7) and Column (11) of the Schedule may be read, with retrospective effect, as follows:

Column	For	Read
No. 7	Essential: Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Essential: Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing. In case of candidates otherwise well qualified.
	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
111	Deputation:	Deputation:
	Note 2: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years.	or some other organization or department of the

[F. No. 23011/183/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 457.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सिपाही (डेमो प्लाटून) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

- {PART II-SEC. 3(i
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल सिपाही, (डेमो प्लाटून) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.--वह व्यक्ति --
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है: या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
सिपाही (डेमो प्लाटून)	10* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन एद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा।
(4)	(5)	(6)
स्तर 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(21700-69100/- も.)		

गले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

2017

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति -

केंद्रीय पुलिस संगठनों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:--

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या
 - (ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा किये हों; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:--

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य।
- (ii) शस्त्र और युक्तियों या फील्ड-क्राफ्ट से सम्बंधित पाठ्यक्रम में भाग लिया हो।
- (iii) संचालन या फील्ड ड्यूटी का दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) ड्रिल या बिना—शस्त्र युद्ध के प्रशिक्षण में भाग लिया हो।
- (ii) किसी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में डेमो प्लाटून के रूप में दो वर्ष के कार्य का अनुभव।
- (iii) किसी खेल या खेल-कूद में दक्षता।
- (iv) चिकित्सा श्रेणी शेप-1
- (v) आयु 45 वर्ष से अधिक न हों (चूँकि फील्ड अभ्यास के लिए कम आयु वाले कार्मिक अपेक्षित हैं)।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।


400	
याद विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
•	नता करन म किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के प्रापक
	किया जाएगा।
(12)	
लागू नहीं होता	(13)
	लागू नहीं होता
	Ø (1)

[फा. सं. 23011/215/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

- G.S.R. 457.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Demo Platoon) in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal, Constable (Demo Platoon). Recruitment Rules. 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix. -The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.-No person, -



- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (Demo Platoon).	10* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised.	Level – 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	Promotion	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation: Officer of the Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or State Police Organisations:	Not applicable	Not applicable
	 (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' regular service in level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - 		



Essential:

- (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.
- (ii) attended a course in weapons and tactics or field craft.
- (iii) two years' experience in operational or field duties.

Desirable:

- (i) attended a training course in Drill or Un-Armed Combat.
- (ii) two years' experience of working in Demo Platoon in a Police Training Institute.
- (iii) excelled in any games or sports.
- (iv) medical category Shape-1.
- (v) age preferably not more than forty-five years (as younger personnel are required for field exercises.)

Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 23011/215/2016-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Sccy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 458.—राष्ट्रपति, सीवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पशु—चिकित्सा कम्पाउंडर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन भैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उराका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के रतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 455.—राष्ट्रपति. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. पुलिस अनुसंघान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंम.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (ड्राइवर) भर्ती
 - (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन भैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन भैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. मर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरहंता.—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं. से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।


अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	
(1)	(2)	वगीकरण
ड्राइवर	15* (2017)	(3)
	*	साधारण केन्द्रीय सेवा.
	न विकास कर मान्यान किया जा सकता है।	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय–सीमा
स्तर 3	(5)	. (6)
(21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीघे मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

4,175. Qui, CAB! 19/1/11



प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्तः-

केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हो; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:--

आवश्यकः

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।
- (ii) भारी और हल्के मोटर यान और गियर वाली मोटर साइकिल का वाणिज्यिक चालन अनुज़प्ति हो :
- (iii) चालन रिकॉर्ड साफ हो (दुर्घटना रहित)।
- (iv) चिकित्सा श्रेणी शेप-1
- (v) यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: मोटर यान की देख रेख सहित नए इंजन तकनीकी (पेट्रोल अथवा डीजल) का अनुभव।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/214/2016-पीटी]

अजय क्मार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

- G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of <u>Driver in</u> the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training. Bhopal (Driver), Recruitment Rules. 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.-No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Driver	15* (2017)	General Central Service Group 'C',	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload.	Non-Gazetted, Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation: Officers of the Central Police Organisations, Central Armed Police Forces or State Police Organisations: - (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational and experience:-	Not applicable	Not applicable
	Essential: (i) Matriculation or equivalent pass from a recognized board. (ii) having a commercial driving license for heavy and light motor-vehicle and motor cycle with gears. (iii) clean driving records (no accidents).		



2, 1939	[PART II—SEC. 3(i)]
(iv) Medical category Shape-1 (v) Minimum three years' driving experience.	
Desirable:	
(vi) Experience in Motor vehicle maintenance including knowledge of new engine technology (Petrol or Diesel).	
Note 1: Period of deputation, including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

[F. No. 23011/214/2016-PT] AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 456.—सा.का.नि. 934 (अ) दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के ज्येष्ठ अन्वेषक भर्ती नियम 2016, में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूची के अंतर्गत स्तम्भ (7) और स्तम्भ (11) की प्रविष्टियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से निम्नवत पढ़ा जाए:-

स्तंभ	के स्थान पर	यह पढ़ा जाये
7	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	वह पढ़ा जाय टिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्भवारी चथन आयोग के विवेकानुसार, इसके लिए जो भी कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, इसके लिए जो भी कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
By Deputation.	Deputation	Not applicable.	<u> </u>
	Officers under the Central or the State Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	ног аррисаве.	Not applicable.
	(ii) working as Constable (Cook) on regular basis in Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or State Police Organisation; or		
	(iii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and		
	(b) possessing the following educational qualification and experience,-		
	Essential:		
	(i) Matriculation or equivalent pass with diploma or certificate in catering from a recognised Board or Institute;		
	(ii) Two years' experience of working as Cook- cum-Helper in Government Department or undertaking preferred.		
	Note 1 Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/133/2017-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (प्रयोगशाला परिचारक), भर्ती नियम, 2018 हैं।



- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैंट्रिक्स मे स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.** वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रयोगशाला परिचारक ।	03* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 1 (रू. 18000- 56900/-)।	लागू नहीं होता।

		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।



भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्तिः	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी;		
	(क) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारित किए हो; और		
	(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-		
	आवश्यक:		
	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास।		
	(ii) फोटो या रासायनिक या इलैक्ट्रोनिक प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।		
	वांछनीयः		
	(i) मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग में 6 महीने का पाठ्यक्रम।		
	टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा सं. 23011 / 157 / 2017—पीटी] अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7th March, 2018

- G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.



4. **Disqualifications.** – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay	Whether Selection post
			Matrix	or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant.	*Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000- 56900)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of	In case of recruitment by promotion or	If a Departmental	Circumstances in
recruitment,	deputation or absorption, grades from	Promotion Committee	which Union public
whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	which promotion or deputation or absorption to be made.	exists, what is its composition.	Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation.	Deputation:	Not applicable	Not applicable.
	Officers under the Central Government or the State Government:		
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or		

79

department; and	
(b) possessing the following educational qualification and experience namely:-	
Essential:	
(i) 12 th Class pass from a recognised board.	
(ii) one year's experience of working in photo or chemical or electronic laboratory.	
Desirable:	
(i) Six months' Certificate course in Computer application from a recognised Institute.	
Note 1 The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	

[F. No. 23011/157/2017-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 76.—चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 18 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 के अधीन केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निम्नलिखित निरीक्षकों को एतद्वारा उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए, समस्त भारत हेतु, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक चिकित्सा उपकरण अधिकारी विनिर्दिष्ट करती है-

- 1. श्री अभिषेक चावला
- 2. डॉ. पी. मानावालां
- 3. श्री योगेश काशीनाथ शेलार
- 4. श्री विनोद कुमार
- 5. सुश्री श्रृद्धा श्रीवास्तव
- 6. श्री वी. राजप्पन
- 7. सुश्री सरला देवी बपनापल्ली
- 8. श्री प्रमोद मधुकर पाटिल